

दिनांक 06 फरवरी 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

हिमाचल प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन

858. श्री हर्ष महाजन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेश व्यापार नीति के तहत कौन-से विशेष प्रोत्साहन/सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश से किए गये निर्यात का उत्पाद-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, सेब/बागवानी और कृषि-आधारित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसी विशेष पैकेज/नई पहल पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) : विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 हिमाचल प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में समान रूप से लागू होती है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है।

राज्य के निर्यातक, निर्यात संवर्धन मिशन आदि जैसी विभिन्न स्कीमों के तहत इन लाभों का फायदा उठा सकते हैं जिसके ब्यौरे अनुलग्नक-11 में दिये गए हैं।

निर्यात केन्द्रों के रूप में जिले पहल के तहत जमीनी स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य में विशिष्ट उत्पादों को चिह्नित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लिए निर्यात क्षमता वाले चिह्नित उत्पादों की जिला-वार सूची अनुलग्नक-11 में संलग्न है।

(ख) : राज्य-वार और जिला-वार निर्यात डेटा शिपिंग बिलों पर निर्यातकों द्वारा बताए गए स्टेट-ऑफ-ओरिजिन कोड पर आधारित होते हैं और सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त होते हैं। निर्यातकों द्वारा घोषित और सीमा शुल्क से प्राप्त राज्य-वार डेटा <https://niryat.gov.in/> पर उपलब्ध है।

(ग) : सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहित देश से एमएसएमई, बागवानी और कृषि-आधारित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक बहु आयामी रणनीति लागू की है। हाल ही में, इस संबंध में अनेक व्यापक पहलें की गई हैं। वाणिज्य विभाग और डीजीएफटी द्वारा कार्यान्वित स्कीमों के ब्यौरे **अनुलग्नक-II** में दिये गए हैं जबकि एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्कीमों के ब्यौरों को **अनुलग्नक-III** में दर्शाया गया है।

दिनांक 06/02/2026 को उत्तर के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 858 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

निर्यात केन्द्रों के रूप में जिले

हिमाचल प्रदेश में चिह्नित उत्पादों और सेवाओं की जिला-वार सूची

क्रम सं.	राज्य	जिले का नाम	निर्यात क्षमता वाले चिह्नित उत्पाद/सेवाएं
1.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	मसाले, पर्यटन
2.		चंबा	पर्यटन, हस्तशिल्प, चंबा रुमाल
3.		हमीरपुर	पर्यटन, कृषि-उत्पाद
4.		कांगड़ा	अचार, जैम स्क्वैश, कांगड़ा चाय, कांगड़ा पेंटिग्स, पर्यटन
5.		किन्नौर	हिमाचली चुल्ली का तेल (खुबानी तेल), पर्यटन, बागवानी, किन्नौरी शॉल
6.		लाहौल एवं स्पीति	पर्यटन, लकड़ी की नक्काशी
7.		कुल्लू	पर्यटन, बागवानी, डेयरी उत्पाद, कुल्लू शॉल
8.		मंडी	मसाले, पर्यटन, बागवानी, फूलों की खेती, हस्तशिल्प
9.		शिमला	पर्यटन, हिमाचली चुल्ली का तेल
10.		सिरमौर	बागवानी
11.		सोलन	मशरूम, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, धागा
12.		ऊना	अचार, जैम स्क्वैश, पर्यटन, इंजीनियरिंग सामान, प्रसस्कृत खाद्य पदार्थ

दिनांक 06/02/2026 को उत्तर के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 858 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वाणिज्य विभाग और डीजीएफटी की पहल

- (क) **निर्यात संवर्धन मिशन:** यह प्रमुख पहल, वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 हेतु 25,060 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ केन्द्रीय बजट 2025-26 में घोषित की गई, जो निर्यात संवर्धन हेतु व्यापक, परिवर्तनीय और डिजिटल रूप से संचालित रूपरेखा उपलब्ध कराती है। ईपीएम दो एकीकृत उप-स्कीमों नामतः निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा के माध्यम से संचालित होगी।
- (ख) वाणिज्य विभाग, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से, देश भर में इसके सदस्य निर्यातकों को सेब जैसे बागवानी उत्पादों सहित, अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। स्कीम के निम्नलिखित घटक हैं:
- निर्यात ढांचे का विकास
 - गुणवत्ता विकास
 - बाज़ार विकास

वित्तीय सहायता के दिशा-निर्देश/एपीडा की वेबसाइट www.apeda.gov.in पर “स्कीम” टैब पर उपलब्ध है।

- (ग) **निर्यात केन्द्र के रूप में जिले (डीईएच)** और ई-कॉमर्स निर्यात हब जैसे ज़मीनी कार्यक्रम की शुरुआत एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स और कारीगरों को सरल निर्यात प्रक्रियाओं सहित न्यूनतम कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में पहुंचने के लिए सक्षम बनाती हैं।
- (घ) **भारती पहल:** कृषि निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए, एपीडा ने नई पहल ‘भारती’ (निर्यात सक्षमता हेतु कृषि प्रौद्योगिकी, लचीलापन, उन्नति और इन्क्यूबेशन के लिए भारत का केन्द्र) लॉन्च की है। इसका निर्माण कृषि-खाद्य स्टार्ट अप्स को सशक्त बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और उत्पाद विकास एवं लॉजिस्टिक से संबंधित निर्यात चुनौतियों का समाधान करने के लिए किया गया है।
- (ङ) **ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म:** सरकार ने भारतीय निर्यातकों विशेषकर एमएसएमई हेतु व्यापक व्यापार-संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह नए और मौजूदा निर्यातकों को सेवाओं और प्रश्नों के उत्तर देने हेतु विदेशों में भारतीय मिशन, निर्यात संवर्धन मिशन और वाणिज्य विभाग को जोड़ते हुए एक मध्यवर्ती प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है।

दिनांक 06/02/2026 को उत्तर के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 858 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

एमएसएमई मंत्रालय की पहल

- (क) . एमएसएमई मंत्रालय ने, राज्य में एमएसएमई पारितंत्र को मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी में 102 करोड़ रुपये की लागत से एक तकनीकी केंद्र स्थापित किया है जो उत्पादन और प्रशिक्षण के माध्यम से इंजीनियरिंग सेक्टर की सहायता करता है।
- (ख) . एमएसएमई को बढ़ाना और उसे गति प्रदान करना (आरएमपी) कार्यक्रम के अन्तर्गत एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता की सहायता करने के लिए हिमाचल प्रदेश की रणनीतिक निवेश योजना हेतु वित्तीय सहायता की स्वीकृत प्रदान की गई है। आरएमपी स्कीम हेतु वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। आरएमपी योजना का उद्देश्य केन्द्रीय एवं सरकार राज्य की एजेंसियों को सुदृढ करके तकनीकी उन्नयन, बाजार और ऋण तक पहुंच बढ़ाकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करना है।
- (ग) . सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के अन्तर्गत, सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना करके और अवसंरचना विकास (आइडी) परियोजनाओं द्वारा एमएसएमई समूहों को सहायता प्रदान की जाती है। स्थानीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य में ऐसी परियोजनाएं कई कार्यान्वित की जा रही हैं।
- (घ) . एमएसएमई ग्लोबल मार्ट- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा एमएसएमई के लिए एक बी2बी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार संबंधी सूचनाएं, निविदाएं, और अन्य संबंधित जानकारी तक पहुंच प्रदान करना है।
